156

संख्या– 1037 / सात–न्याय–2–2014–36जी / 2013

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग–2(अधीनस्थ न्यायालय)लखनऊ:दिनांक 01 सितम्बर, 2014

विषयः–महिलाओं के विरूद्व अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रत्येक जनपद में एक–एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–10169 / मेन–बी / एडमिन (ए–3) दिनांक 22 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री राज्यपाल महोदय महिलाओ के विरूद्व अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रथम चरण में 05 न्यायालयों / अस्थायी निः संवर्गीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों को समायोजित करते हुये महिलाओ के विरूद्व अपराधिक मुकदमों को त्वरित निस्तरण के लिये उ0 प्र0 के प्रत्येक जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 01–01 फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु कुल 80 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय तथा उनके सर्पोटिंग स्टाफ के लिये कुल 320 पद , जिनका विवरण निम्नवत् है, इस आदेश के जारी होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक यदि बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही न समाप्त कर दिये जायें, स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रूपये)	ग्रेड पे (रूपये)	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1–	अपर जिला	51550–1230–	0	80

157

संख्या– 1037 / सात–न्याय–2–2014–36जी / 2013

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग–2(अधीनस्थ न्यायालय)लखनऊ:दिनांक 01 सितम्बर, 2014

विषयः–महिलाओं के विरूद्व अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रत्येक जनपद में एक–एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–10169 / मेन–बी / एडमिन (ए–3) दिनांक 22 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री राज्यपाल महोदय महिलाओ के विरूद्व अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रथम चरण में 05 न्यायालयों / अस्थायी निः संवर्गीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों को समायोजित करते हुये महिलाओ के विरूद्व अपराधिक मुकदमों को त्वरित निस्तरण के लिये उ0 प्र0 के प्रत्येक जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 01–01 फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु कुल 80 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय तथा उनके सर्पोटिंग स्टाफ के लिये कुल 320 पद , जिनका विवरण निम्नवत् है, इस आदेश के जारी होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक यदि बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही न समाप्त कर दिये जायें, स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रूपये)	ग्रेड पे (रूपये)	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1–	अपर जिला	51550–1230–	0	80

	एवं सत्र न्यायाधीश	58930–1380–63070		
2–	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	80
3–	आशुलिपिक–ग्रेड–2	9300–34800	4200	80
4–	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	80
5–	अनुसेवक	5200–20200	1800	80

कुल योग= चार सौ (400)

2– इन पदों के धारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिस सीमा तक समय–समय पर लागू नियमों एवं राजाज्ञाओं द्वारा वे उसके अधिकारी होंगे।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश तथा 108–दण्ड न्यायालय–03–नियमित अधिष्ठान" की सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

4– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–12–1389/दस–2014, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1037(1)/सात–न्याय–2–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट–2, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– वित्त (ई–12) अनुभाग। (03 प्रतियों में)
6– वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–1/2

	एवं सत्र न्यायाधीश	58930–1380–63070		
2–	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	80
3–	आशुलिपिक–ग्रेड–2	9300–34800	4200	80
4–	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	80
5–	अनुसेवक	5200–20200	1800	80

कुल योग= चार सौ (400)

2– इन पदों के धारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिस सीमा तक समय–समय पर लागू नियमों एवं राजाज्ञाओं द्वारा वे उसके अधिकारी होंगे।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश तथा 108–दण्ड न्यायालय–03–नियमित अधिष्ठान" की सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

4– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–12–1389/ दस–2014, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1037(1)/सात–न्याय–2–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट–2, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– वित्त (ई–12) अनुभाग। (03 प्रतियों में)
6– वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–1/2

–3–

7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
8– नियुक्ति अनुभाग–4
9– न्याय अनुभाग–9 (बजट)
10– संबंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह–II)
विशेष सचिव।

7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
8– नियुक्ति अनुभाग–4
9– न्याय अनुभाग–9 (बजट)
10– संबंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह–II)
विशेष सचिव।